संख्याः 157 /XXIV-2/2005

प्रेषक,

एस0 के0 माहेश्वरी,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल,देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 06 जुलाई,2005

विषयः जिला योजनान्तर्गत राजकीय इण्टर कालेजों के चालू निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या नियोजन/ 11991/ अधूरे भवनों का निर्माण /2005–06 दिनॉक 5–7–2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय इण्टर कालेजों के चालू निर्माण कार्यों हेतु निम्न स्तम्भ –3 पर अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ –4 में अब तक स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्तम्भ–5 पर अंकित विवरणानुसार कुल रू0 161.54 लाख (रूपये एक करोड़ इकसठ लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्याः 630/ XXIV.2/2004 दिनॉक 29–4–2005 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 233.12 लाख में से व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

(लाख रूपयें में)

क0 स0	विद्यालय का नाम	अनुमोदित लागत	अबतक स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5
1–	रा0इ0का0–लंगासू, चमोली का भवन निर्माण	144.86	136.02	8.84
2–	रा0इ0का0–नन्द प्रयाग, चमोली का भवन निर्माण	124.50	18.50	30.00
3–	रा0इ0का0– रडुवा चॉदनीखाल चमोली का भवन निर्माण	78.63	12.47	8.50

4—	रा0इ0का0— सौराखाल, रूद्रप्रयाग	206.68	151.93	10.00
5—	रा0इ0का0 पौडी में प्रेक्षागृह निर्माण	44.35	4.82	39.53
6—	रा0इ0का0 खण्डाह पौड़ी का भवन निर्माण	215.94	177.00	38.94
7—	रा0इ0का0 नौगॉवखाल, पौड़ी गढ़वाल	184.37	158.64	25.73
			योग—	161.54

(1)— आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2)— कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3)— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4)— एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) — कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6)— कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभॉति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाए।

(7)— आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8)— निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(9)— निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी। अनुमोदित लागत पर ही निर्माण कार्य को पूरा किया जाय। किसी भी दशा में आगणनों को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय– 01–सामान्य शिक्षा– आयोजनागत – 202–माध्यमिक शिक्षा– 91 –जिला योजना 9102–राजकीय उ0मा0 विद्यालयों / इण्टर कालेजों – बालक / बालिका के अधूरे भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था – 24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 75 / वित्त अनु0–4 / 05 दिनॉक 8/8/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः (1) / XXIV-2/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2 निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
5– जिलाधिकारी – पौड़ी / चमोली / रूद्रप्रयाग।
6– कोषाधिकारी, पौड़ी / चमोली / रूद्रप्रयाग।
7– जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी / चमोली / रूद्रप्रयाग।
8– वित्त विभाग / नियोजन प्रकोष्ठ।
9– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
10– संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
11– कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
12– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

2- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहाँ आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अननुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के अधीन लेखा शीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय- 01-सामान्य शिक्षा- आयोजनागत - 202-माध्यमिक शिक्षा- 01 -जिला योजना 9102-राजकीय उ0मा0 विद्यालयों/ इण्टर कालेजों - बालक/बालिका के अधूरे भवनों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था - 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 75 /वित्त अनु0-4/05 दिनॉक 1/8/2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 के0 माहेश्वरी)
अपर सचिव

संख्याः 159 (1)/ XXIV-2/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,उत्तरॉचल, देहरादून।
2 निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी।
3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल-पौड़ी।
5- जिलाधिकारी - पौड़ी/चमोली/रूद्रप्रयाग।
6- कोषाधिकारी, पौड़ी/चमोली/रूद्रप्रयाग।
7- जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी/चमोली/रूद्रप्रयाग।
8- वित्त विभाग /नियोजन प्रकोष्ठ।
9- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
10- संबंधित निर्माण ऐजेन्सी।
11- कम्प्यूटर सेल(वित्त विभाग)
12- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव